विशेष वाहक द्वारा/स्पीड पोस्ट से

सं.14/3/2015-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 25 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 27 अगस्त, 2015 को आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) – अनुपूरक कार्यसूची भेजने के संबंध में।

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 11 अगस्त, 2015 के कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करने और ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) के लिए कार्यसूची अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

मैसर्स ग्रानी मार्मो प्राइवेट लिमिटेड नामक मामले का और एमईपीजेड से संबंधित अनुसमर्थन के मामलों की अतिरिक्त कार्यसूची भी भेजी जा रही है जिसपर इस बैठक में चर्चा होगी।

संलग्नक : यथोपरि

ह0/-
(एस.एस. कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/निदेशक (एमवी) के निजी सचिव।

ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 27.08.2015 को प्रात: 10.30 बजे आयोजित होने के लिए निर्धारित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) के लिए अनुपूरक कार्यसूची।

3.8(15) मैसर्स जैन ग्रामी मार्मो प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के अंतर्गत उदयपुर स्थित एक ईओयू – अस्वीकृत एवं अपशिष्ट/स्क्रैप का डीटीए के अंतर्गत निस्तारण किए जाने की अनुमति।

"यह इकाई उदयपुर में स्थित है और मारबल स्लैब्स, टाइल्स तथा ड्रेस्ड मारबल बनाने के लिए एक 100 प्रतिशत ईओयू है। विदेश व्यापार नीति 2009-14 के प्रावधानों के अनुसार पैरा 6.8(क) तथा (ज) के अनुसार डीटीए में मारबल की बिक्री निषिद्ध है।

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(क) में उल्लेख है कि :

"मोटर कार, अल्कोहलिक लिक्कर, पुस्तकों, चाय (तत्काल चाय को छोड़कर) काली मिर्च एवं काली मिर्च उत्पादों, मारबल तथा ऐसी अन्य मदों की, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, डीटीए में रियायती दरों पर बिक्री की अनुमति नहीं है।"

पैरा 6.8(ज) में निम्नवत उल्लेख किया गया है :

"ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां काली मिर्च तथा काली मिर्च उत्पादों और मारबल को छोड़कर डीटीए में विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत मुक्त रूप से आयात योग्य परिष्कृत उत्पादों की बिक्री सभी शुल्कों का भुगतान करके तथा विकास आयुक्त को उसकी सूचना देकर कर सकती है बशर्ते कि उनका सकारात्मक एनएफई हो।'

तथापि रिजेक्ट्स की बिक्री को विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(घ) द्वारा शासित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख है :

"एलओपी में अन्यथा विशेष रूप से निषिद्ध रिजेक्ट्स की डीटीए में 50 प्रतिशत की एक समग्र सीमा के अंतर्गत उप-पैरा 6.8(क) के अंतर्गत बिक्री के लिए लागू अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करके तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उसकी पूर्व सूचना देकर की जा सकती है। निर्यात के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत की सीमा तक इस रिजेक्ट्स की ऐसी बिक्री एनएफई की उपलब्धि के अध्यधीन नहीं होगी।"

विदेश व्यापार नीति का पैरा 6.8(ड.) यह प्रावधान करता है कि :

"उत्पादन प्रक्रिया अथवा उससे संबंधित प्रक्रिया से उत्पन्न कतरन/अपशिष्ट/रिमनैन्ट्स की बिक्री डीटीए में निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक की समग्र सीमा के अध्यधीन यथा लागू सभी रियायती शुल्कों का भुगतान करके शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित एसअबाईओएन के अंतर्गत की जा सकती है। कतरन/अपशिष्ट/अवशिष्ट की यह बिक्री सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि के अध्यधीन नहीं होगी। मानकों के अंदर कवर न होने वाले मानकों के संबंध में विकास आयुक्त छह माह की अवधि के लिए तदर्थ मानक निर्धारित कर सकता है और इस अवधि के अंदर मानक समिति द्वारा मानक निर्धारित कर दिए जाएंगे। तदर्थ मानक, समिति द्वारा निर्धारित किए मानकों के समय तक बने रहेंगे। इकाइयों द्वारा उस अपशिष्ट/कतरन/अवशिष्ट की बिक्री जो डीटीए बिक्री के लिए हकदार नहीं है अथवा डीटीए बिक्री के लिए हकदार बिक्री से अधिक की बिक्री पूर्ण शुल्क का भुगतान कर देने के बाद होगी। कतरन/अपशिष्ट/अवशिष्ट का निर्यात भी किया जा सकता है।"

तदर्थ अपशिष्ट मानकों को एचबीपी 2002-2007 के परिशिष्ट 14-I के पैरा 12.1(घ) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एनएसईजेड के दिनांक 24.06.2004 के पत्र के तहत छह माह के लिए इस शर्त पर तय किया गया था कि चूंकि नियमित अपशिष्ट मानकों का निर्धारण करने के लिए यह मामला अनुमोदन बोर्ड के पास भेजा जा रहा है और इस मामले में बीओए का निर्णय बाध्यकारी होगा। विकास आयुक्त के अपशिष्ट के लिए जो मानक निर्धारित किए हैं वह आयातित ब्लॉक से 8.92 प्रतिशत की सीमा तक और स्वदेशी ब्लॉक से अपशिष्ट के 27.56 प्रतिशत की सीमा तक है।

अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 23.11.2012 की अपनी बैठक में पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरांत यह निश्चय किया कि इस मारबल अपशिष्ट/कतरन की बिक्री विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(घ) और 6.8(ड.) में किए गए प्रावधानों के अनुसार उस मद की विहित एसआईओएन के अध्यधीन किया जाएगा। एसआईओएन की गैर-मौजूदगी में यह निपआन इनपुट मात्रा के 2 प्रतिशत तक सीमित है बशर्ते कि इसके लिए विकास आयुक्त एसईजेड और संबंधित सीसमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त इसकी अनुमति दें। तदनुसार, विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने दिनांक 01.03.2013 के पत्र के तहत इनपुट मात्रा के 2 प्रतिशत सीमा तक अस्वीकृत/अपशिष्ट माल का निपटान करने के लिए अनुमति जारी कर दी।

इस यूनिट ने अपने दिनांक 25.02.2014 के पत्र के तहत वाणिज्य विभाग से पैरा 6.8(घ) और (ड.) के 2 प्रतिशत के बजाय 7.5 प्रतिशत तक इनपुट का निपटान करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। विभाग के दिनांक 03.04.2014 के पत्र के तहत यह मामला डीजीएफटी के पास भेज दिया गया। डीजीएफटी ने दिनांक 28.05.2014 के पत्र के तहत इस यूनिट से मारबल रिजेक्ट्स/अपशिष्ट की इनपुट मात्रा की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए अपना मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का अनुरोध किया क्योंकि यूनिट का अनुरोध बीओए द्वारा यथानिर्धारित निपटान के मानदंड में परिवर्तन करने से संबंधित है। इस मामले पर यूनिट का अनुरोध डीटीए में रिजेक्ट्स/अपशिष्ट/कतरन का निपटान करने के स्तर में परिवर्तन करने के लिए है।

डीटीए में रिजेक्ट्स/अपशिष्ट/कतरन का निपटान करने के स्तर में वृद्धि करने के विषय पर अनुमोदन बोर्ड ने अपनी दिनांक 18.09.2014 को आयोजित बैठक में विचार किया और विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने यह निश्चय किया कि इस यूनिट के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यूनिट को इस निर्णय की सूचना विकास आयुक्त, एनएसईजेड के दिनांक 01.10.2014 को पत्र के तहत दे दी गई।

अनुमोदन बोर्ड के निश्चय से दुखित होकर यूनिट ने रिट याचिका संख्या 8928/2014 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की सूचना भारत के सहायक महान्यायवादी के माध्यम से एनएसईजेड को संप्रेषित कर दी गई। यह सूचित किया गया कि उपर्युक्त रिट याचिका पर दिनांक 05.08.2015 को निर्णय दिया गया और यह निदेश दिया गया कि इस मामले को विदेश व्यापार नीति के खंड 6.8(घ) और 6.9(ड.) को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड इस ईओयू के लिए इस मामले पर नए सिरे से विचार करे और यह निदेश दिया जाता है कि बोर्ड इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के एक माह की अवधि के अंदर इस मामले पर कोई न कोई निर्णय लेगा। उच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया कि केवल 2 प्रतिशत के निपटान का आदेश देना न्यायोचित नहीं है और यह मनमानी प्रकृति का है और इस आदेश का कोई तर्क भी नहीं है और इसलिए दिनांक 23.11.2012 और 18.09.2014 को लिए गए इस विवादित निर्णय को हटा देना चाहिए।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर यह मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

विकास आयुक्त की टिप्पणी : विकास आयुक्त ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि अनुमोदन बोर्ड इस यूनिट को अपेक्षित विवरण डीजीएफटी की मानक समिति के समक्ष रखें और मानक समिति इस मामले पर समयबद्ध ढंग से विचार करके निश्चय करे।

भाग-II

बीओए का अनुसमर्थन करने के लिए वर्ष 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुरूप प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	**अप्रैल 2015 से मई 2015 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत प्रदत्त अनुमोदन**	**एमईपीजेड**